indicating month, name of the item, Quantity, CIF value and source of import.

3. Steps taken so far to start production of these bulk drugs from basic stage.

3087. [*Transferred to the 17th July, 1992*].

गोरखपुर उर्वरक कारखाने का पुनः चालू किया जाना

3088. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर उर्वरक कारखाने को पुनः चालू करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या गोरखपुर उर्वरक कारखाने का मामला औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजा गया है यदि हां, तो कब और क्या औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने कोई निर्णय किया है ; और

(ग) जून, 1990 से लेकर आज तक फैक्टरी को लगभग कितना घाटा हुआ है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया (एफ सी आई०) के गोरखपुर संयंत्र को 10-6-1990 को संयंत्र में एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप बन्द कर दिया गया । संयंत्र का विस्तृत स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराया गया है और उस पर एफ सी आई बोर्ड की सिफारिशों के साथ रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी है । एफ सी आई ने अपनी सिफारिश में गोरखपुर में वर्तमान संयंत्र स्थल पर 837 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 900 टन प्रतिदिन अमोनिया और 1500 टन प्रतिदिन यूरिया की क्षमता वाले नेफ्था पर आधारित एक नये संयंत्र की स्थापित करने की अधिमान्यता दी है । सरकार इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने के लिये सभी संभव उपाय करेगी ।

(ख) बीमार औद्योगिक कम्पनिया (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अध्यधीन एफ सी आई ने 20-4-1992 को सम्पूर्ण कम्पनी का मामला बी आई एफ आर के सुपुर्द किया है । अभी तक बी आई एफ आर द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) गोरखपुर एकक के जून, 1990 में बन्द होने से एकक द्वारा उठायी गयी अनुमानित हानि अनमानित रूप से 85 करोड़ रुपये है ।

गोरखपुर उर्वरक कारखाने के संबंध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

3089. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर उर्वरक कारखाने के कार्यकरण के संबंध में विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशें क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन सिफारिशों की समीक्षा की है ; और

(ग) इस कारखाने को पुनः कब तक चालू किये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ सी आई) के गोरखपुर एकक के कार्यकरण के संदर्भ में कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गयी थी । संभवतः माननीय सदस्य गोरखपुर संयंत्र के स्वास्थ्य सर्वेक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसे स्पीक – एस एम ओ, फीडो और पी डी आई एल जैसे विशेषज्ञ अभिकरणों के माध्यम से कराया गया । स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर मेसर्स पी डी आई एल और मेसर्स फीडो ने निम्न-लिखित सुझाव दिये हैं:-

(1) 50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर गोरखपुर संयंत्र को फिर से चालू करना ।

(2) 228 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर संयंत्र का पुनरूद्धार ।

(ख) और (ग) एफ० सी० आई० ने जिसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के संदर्भ में अपने बोर्ड की सिफारिशें भेजने को कहा गया था, वर्तमान स्थल पर 837 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 900 टन प्रतिदिन अमोनिया और 1500 टन प्रतिदिन यूरिया की क्षमता वाले एक नये नेफथा पर आधारित संयंत्र स्थापित करने को वरीयता दी है । सरकार इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने के लिये सभी संभव उपाय करेगी ।

Reduction of custom duty on Ceftazidine

3090. SHRI ABDUL SAMAD SIDDIQUI: Will the PRIME MINSTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the customs duty on Ceftazidime was reduced in July, 1991 but the company did not pass on the benefit of duty reduction by selling indigenously produced formulations at a lower price;

(b) whether it is a fact that the imports of this drug are over-invoiced and after customs duty reduction of bulk drug, formulations prices were jacked up instead of being reduced;

(c) what are the details in this regard and the reasons for reducing customs duty without having cost benefit analysis; and

(d) what steps have been taken to set up a Cell to examine duty rationalisation proposals in his Ministry before duty concessions are granted to ensure that the benefit is passed on to the public?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) to (c) The custom duty on bulk drug 'Ceftazidime' was reduced in July, 91. However, the actual import at 0% duty took place only in November, 1991 after necessary amendment in the notification. Ceftazidime injection in the finished form were being imported at 0% custom duty and only after withdrawing custom duty on bulk drug Ceftazidime, the manufacture of Ceftazidime Injection has been started in the coutnry. On import of injection in finished form, admissible margin is 50% only, whereas on indigenously manufactured injection, from imported bulk drug, there is no such restriction. To check whether the benefit of custom duty has been passed on to the consumer, the data submitted by the company is under examination. Regarding overinvoicing of the bulk drug, there is no information with the Government. The custom duty on bulk drug was reduced with a view to encourage indigenous production of formulations instead of importing them and to save foreign exchange.

(d) There is no proposal to set up a separate cell to examine duty rationalisation proposals. Strengthning/reorganising the present administrative arrangement for monitoring the impact of custom duty concessions is under examination.

Returns in form 2-A

3091. SHRIMATI KAILASHPATI:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 380 given in the Rajya Sabha on the 30th April, 1992 and state:

(a) whether it is a fact that during 1991-92 only returns in Form 2-A were received in respect of 50 packs;

(b) if so, what are the names of companies which had submitted Form 2-A, names of products and details of packs and what was the extent of price increase for which details were received;

(c) whether it is also a fact that companies went on increasing the prices but did not submit the details;

(d) if so, the details of such instances which came to the notice of Government; and

(e) what steps are being taken to probe into the matter?